UPME010030342026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मेरठ।

उपस्थित : श्री अरविन्द कुमार मिश्रा-II,

(उच्चतर न्यायिक सेवा)

(ID No. : UP 6030)

दाण्डिक निगरानी संख्या 131 सन 2026

राकेश वर्मा पुत्र श्री चन्द्रमोहन निवसी किला परीक्षितगढ़, थाना परीक्षितगढ़ जिला मेरठ। ..... पुनरीक्षणकर्ता।

बनाम

1. इन्दु वर्मा पत्नी राकेश वर्मा पुत्री श्री प्रवीण वर्मा
2. आशीष वर्मा पुत्र प्रवीण वर्मा
3. आकांक्षा वर्मा पुत्री प्रवीण वर्मा
4. सीमा वर्मा पत्नी प्रवीण वर्मा
5. प्रवीण वर्मा पुत्र श्री महावीर
6. रीना उर्फ रोमा पत्नी दीपक
7. दीपक पुत्र नामालूम
   समस्त निवासीगण- म०न० 231, न्यू डिफेंस कालोनी मुरादनगर जिला गाजियाबाद।
8. प्रमोद उर्फ बब्लू वर्मा पुत्र मंगू
9. अंशू वर्मा पत्नी प्रमोद उर्फ बब्लू
10. रघुनाथ वर्मा पुत्र भानुचन्द वर्मा
11. नितिन वर्मा पुत्र रघुनाथ वर्मा
    समस्त निवासीगण परीक्षितगढ़ जिला मेरठ

..... प्रत्युत्तरकर्तागण।

निर्णय

1. प्रस्तुत आपराधिक पुनरीक्षण, प्रकीर्ण वाद संख्या- 7181/2025 राकेश वर्मा बनाम इन्दू वर्मा आदि अंतर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. में विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-01, मेरठ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 20.01.2026, जिसके द्वारा पुनरीक्षणकर्ता/वादी का प्रार्थनापत्र निरस्त किया गया है, के विरूद्ध योजित की गयी है।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि-

2. प्रस्तुत पुनरीक्षण के सम्बन्ध में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि पुनरीक्षणकर्ता/ वादी द्वारा न्यायालय में प्रकीर्ण वाद संख्या- 7181/2025 राकेश वर्मा बनाम इन्दू वर्मा आदि प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. इस आश्य का प्रस्तुत किया था कि पुनरीक्षणकर्ता का विवाह प्रत्युत्तरकर्ती इंदु के साथ हुआ था एवं इंदु के पूर्व में हुअ विवाह का तथ्य पुनरीक्षणकर्ता से छिपाया गया। पुनरीक्षण कर्ता के साथ विवाह के पश्चात भी इन्दु का अन्य पुरूषों के साथ अवैध संबंध रहा। इस आचरण के बारे में पुनरीक्षणकर्ता के परिवारजन द्वारा समझाने एवं अन्य व्यक्ति से फोन पर बात करते हुए

पकड़े जाने पर इन्दु पुनरीक्षणकर्ता एवं उसके परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हुए सीढ़ियों से कूद गई जिससे उसके पैर में चोट लगी। इस घटना की सूचना पुनरीक्षणकर्ता द्वारा पुलिस को दी गई एवं शिकायत पत्र भी थानाध्यक्ष को दिया लेकिन कोई कार्यवाही न होने एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न होने पर पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रथम सूचना दर्ज किए जाने के आशय का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-01, मेरठ में योजित किया गया।

पुनरीक्षण का आधार-

3. पुनरीक्षणकर्ती द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण में यह आधार लिया गया है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य की अनदेखी कर पारित किया गया है। प्रत्युत्तरकर्ती इन्दु का विवाह पुनरीक्षणकर्ता से हुआ। इन्दु का पूर्व में एक विवाह किसी अन्य पुरूष के साथ होने का तथ्य पुनरीक्षणकर्ता से छिपाया गया। इन्दु के अन्य पुरूषों के साथ अवैध संबंध थे जिसके बारे में पुनरीक्षणकर्ता के परिवारजन ने इन्दु को गलत आचरण न रखने एवं वैवाहिक दाम्पत्य जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए समझाया। इन्दु ने गलत आचरण जारी रखा एवं सोशल मीडिया पर अन्य पुरूषों से बात कर ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि पुनरीक्षणकर्ता उसे तलाक दे दे तथा इन्दु एवं प्रत्युत्तरकर्तागण उससे तलाक के एवज में मनमाना पैसा ठग सके। दिनांक 28.09.2025 की सुबह अन्य व्यक्ति से फोन पर बात करते हुए पकड़े जाने पर इन्दु, पुनरीक्षणकर्ता एवं उसके परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हुए सीढ़ियों से कूद गई जिससे उसके पैर में चोट लगी। इस घटना की सूचना पुनरीक्षणकर्ता द्वारा थाना परीक्षितगढ़ पर दिए जाने पर भी पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। इन्दु व उसके मायके वालों ने पुनरीक्षणकर्ता के परिवार के विरूद्ध एक मुकदमा अपराध संख्या 284 सन् 2025 अंतर्गत धारा 115(2), 117(2) बी.एन.एस. थाना परीक्षितगढ़ पर पंजीकृत करा दिया जिसनें बाद में धारा 85, 352, 351(2),(3) बी.एन.एस. एवं धारा 3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम की वृद्धि की गई। इन्दु के द्वारा पूर्व विवाह के तथ्य को छिपाते हुए एवं बिना तलाक लिए पुनरीक्षणकर्ता से विवाह किया है जिसके संबंध में एक वाद न्यायालय प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय मेरठ में विचाराधीन है। पुनरीक्षणकर्ता की ओर से अवर न्यायालय के आदेश दिनांकित 20.01.2026 को अपास्त किये जाने की याचना की गयी है।

4. दस्तावेजी साक्ष्य-पुनरीक्षणकर्ता:

i. प्रकीर्ण वाद संख्या- 7181/2025 राकेश वर्मा एवं इंदु वर्मा आदि अंतर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. थाना परीक्षितगढ़ जिला मेरठ।

ii. विवाह विच्छेदन समझौता पत्र (अंकुर वर्मा - इन्दु वर्मा) की छाया प्रति।

iii. न्यायालय प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय मेरठ, में योजित वाद संख्या 02/2025 की छाया प्रति।

5. प्रत्युत्तरकर्तागण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक आपत्ति करते हुये कथन किया गया है कि प्रश्नगत आदेश विधिक प्राविधानों के अनुकूल है। उसमें किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

6. मैंने पुनरीक्षकर्ता एवं प्रत्युत्तरकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा आलोच्य आदेश एवं पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

निष्कर्ष

7. **मालती बनाम उ०प्र० राज्य 2000 (क्रि०लॉ०ज०) 4170 (इला०)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि पुनरीक्षण न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है, जो यह सुनिश्चित करती है कि आपराधिक न्याय-शास्त्र के अधीन स्थापित न्याय किया गया है या नहीं।

8. **अमित कुमार बनाम रमेश चन्द्र (2012) 9 एस०सी०सी० 460** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि पुनरीक्षण न्यायालय को अवर न्यायालय के निष्कर्षों की वैधानिकता एवं उचितता तक सीमित रहना चाहिए। पुनरीक्षण न्यायालय को अवर न्यायालय के तथ्य के निष्कर्षों को निरस्त किये जाने की क्षेत्राधिकारिता नहीं है। पुनरीक्षण न्यायालय, अपीलीय न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती या अपीलीय न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथ्य के नवीन निष्कर्षों एवं साक्ष्यों का मूल्यांकन नहीं कर सकता।

9. विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पुनरीक्षकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस को निरस्त किया गया।

10. विद्वान अवर न्यायालय ने अपने आलोच्य आदेश में यह आधार लिया है कि-

> "थाना परीक्षितगढ़ की आख्या पत्रावली पर उपलब्ध है। थाने की आख्या में उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में थाने पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से यह विदित है कि थाने की आख्यानुसार "विपक्षी प्रवीण के द्वारा आवेदक के पुत्र के विरूद्ध थाना परीक्षितगढ़ पर मु.अ.सं. 284 / 2025 धारा 115(2), 117(2), बी.एन.एस. बनाम राकेश पुत्र चन्द्रमोहन पंजीकृत कराया गया है। विवेचना के दौरान धारा 85, 352, 351(2), (3) बी.एन.एस. एवं धारा 3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम की वृद्धि की गई व अभियोग में अभियुक्तगण विजय, संगीता, चन्द्रमोहन का घटना में संलिप्त पाए जाने पर सभी के नाम प्रकाश में आए। विवेचना से अभियुक्तगण राकेश पुत्र चन्द्रमोहन, विजय पुत्र चन्द्रमोहन, संगीता पत्नी चन्द्रमोहन व चन्द्रमोहन पुत्र लल्लूराम के विरूद्ध जुर्म धारा 85, 352, 351(2)(3), 115(2), 117(2), बी.एन.एस. एवं धारा 3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम बखूबी प्रमाणित होने पर चालान जरिए आरोप पत्र संख्या 271 / 2025 दिनांक 26.11.2025 को किता कर प्रेषित किया गया।" जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद में उक्त तथ्य का अंकन नहीं किया गया और अंकन न करने का कोई कारण भी दर्शित नहीं है। इस प्रकार उक्त तथ्य को न्यायालय से छिपाया गया है, जिससे दर्शित होता है कि परिवादी न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है और उक्त तथाकथित घटना दबाव बनाने के उद्देशय से दुराश्यपूर्ण गढ़ी हुई होना विदित है। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं.प्र.सं. में अंकित तथ्यों के संबंध में किसी प्रकार की जांच एवं विवेचना कराए जाने का आधार उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के क्रम में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद निरस्त किए जाने योग्य है।''

11. पुनरीक्षणकर्ता की ओर से अपने प्रार्थना पत्र में उपर्युक्त तथ्यों के छिपाए जाने आदि के संबंध में तथ्यों को स्पष्ट नहीं किया गया है। पुनरीक्षणकर्ता की ओर से यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रस्तुत मामले में विवेचना का क्या आधार है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पुनरीक्षणकर्ता का प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है। लेकिन पुनरीक्षणकर्ता परिवाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

12. विद्वान अवर न्यायालय ने पुनरीक्षणकर्ता/प्रार्थी द्वारा तथ्यों को छिपाए जाने और विवेचना कराए जाने का आधार न होने के कारण प्रार्थना पत्र को निरस्त कर कोई वैधानिक त्रुटि कारित नहीं की है।

13. उपरोक्त विशलेषण के प्रकाश में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 20.01.2026 पूरी तरह से विधिसम्मत व उचित है तथा उसमें हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

14. अतः पुनरीक्षण बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 20.01.2026 यथावत रखे जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत पुनरीक्षण निरस्त किया जाता है।

विद्वान अवर न्यायलय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 20.01.2026 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

दिनांक:05.06.2026

(अरविन्द कुमार मिश्रा-II)
सत्र न्यायाधीश,
मेरठ।
ID No. 6030

उपरोक्त निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

दिनांक:05.06.2026

(अरविन्द कुमार मिश्रा-II)
सत्र न्यायाधीश,
मेरठ।
ID No. 6030

This is uncertified copy for information/ reference.
For authentic copy please refer to certified copy only.